# प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा दिनांक 22.01.2019 को विभागीय पदाधिकारियों के साथ आयोजित कार्यों की समीक्षा बैठक की कार्यवाही :–

अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में दिनांक 22.01.2019 को विभागीय पदाधिकारियों के साथ कार्यों की समीक्षा बैठक की गयी, जिसमें विभाग के सभी वरीय पदाधिकारी, प्रभारी पदाधिकारी एवं प्रशाखा पदाधिकारी उपस्थित हुए। बैठक में निम्नवत निर्देश दिये गये :–

1. पूर्व से पदस्थापित बिहार प्रशासनिक सेवा एवं बिहार नगर सेवा के कार्यपालक पदाधिकारियों के लिए नगर निकायों का कलस्टर बनाया जाय और कलस्टर क्षेत्र के अंदर के निकायों में पदस्थापित नवनियुक्त कार्यपालक पदाधिकारियों को आवश्यक सहयोग हेतु इन्हें Tag किया जाय ताकि नवनियुक्त कार्यपालक पदाधिकारियों को समय–समय पर कार्य निष्पादन के बारे में इनसे मार्गदर्शन प्राप्त हो सके।

   **(अनुपालन :– श्री भरत झा, निदेशक, न०प्र०)**

2. Bihar Municipal Trade Licence की संचिका मंतव्य के साथ आज ही उपस्थापित की जाय।

   **(अनुपालन :– श्री संजय कुमार, विशेष सचिव)**

3. नगर निकायों के महापौर/अध्यक्ष का सीधे निर्वाचन, महापौर/अध्यक्ष का पार्टी आधारित चुनाव एवं आवश्यकतानुसार नगरपालिका अधिनियम में संशोधन के बिन्दुओं के संबंध में DMI से प्रस्ताव प्राप्त किया जाय।

   **(अनुपालन :– श्री संजय कुमार, विशेष सचिव)**

4. Water User Charge Policy की संचिका नीति प्रारूप के साथ आज ही उपस्थापित की जाय।

   **(अनुपालन :– श्री सोमेश कुमार सिंह, का०अभि०)**

5. Property Tax के outsourcing का RFP एक सप्ताह के अंदर प्रकाशित कराया जाय।

   **(अनुपालन :– श्री संजय कुमार, विशेष सचिव)**

6. मुख्यमंत्री आदर्श नगर निकाय प्रोत्साहन योजनांतर्गत नगर निकायों के चयन हेतु समीक्षा कर प्रस्ताव एक सप्ताह के अंदर अनिवार्य रूप से उपस्थापित किया जाय।

   **(अनुपालन :– श्री संजय कुमार, विशेष सचिव)**

7. World Bank के माध्यम से बुडको के अभियंताओं एवं संवेदकों को प्रशिक्षण दिलाने हेतु बुडको को पत्र भेजा जाय।

   **(अनुपालन :– Sri J.N. Singh, Team Leader, SPMG)**

8. कितने शहरों में कितने स्थानों पर नाला का पानी गंगा नदी में गिर रहा है और कितने शहरों में नाला का पानी ट्रीटमेंट के बाद गंगा नदी में गिर रहा है, उसका निकायवार comprehensive report तैयार कर एक सप्ताह के अंदर अधोहस्ताक्षरी को अवलोकन हेतु संचिका में उपस्थापित किया जाय।

   **(अनुपालन :– Sri J.N. Singh, Team Leader, SPMG)**

9. नगर निकायों के पदाधिकारियों/कर्मियों/जन प्रतिनिधियों के क्षमतावर्द्धन हेतु Integrated Capacity Building के तहत केन्द्रीय योजनाओं यथा AMRUT, DAY-NULM, SBM, HFA, PMAY, HRIDAY एवं Smart City Mission के लिए 3–4 संस्थाओं के साथ MOU किये जाने हेतु प्रशाखा–3 की संचिका में माननीय मंत्री का आदेश प्राप्त हुआ है, लेकिन अभी तक उन संस्थाओं के साथ MOU किये जाने की कार्रवाई नहीं हुई है। निर्देश दिया गया कि इन संस्थाओं के साथ MOU किये जाने की कार्रवाई एक सप्ताह के अंदर पूर्ण की जाय।

   **(अनुपालन :– प्रशाखा पदाधिकारी–3)**

10. SUH Committee की बैठकों में लिये गये निर्णयों के अनुपालन हेतु नियमित अनुश्रवण किया जाय।

    **(अनुपालन :– Sri Sanjiv Pandey, Team Leader, NULM)**

**11.** बुडको से गैर–तकनीकी कर्मियों के पदों के सृजन का प्रस्ताव विभाग में प्राप्त हुआ है। इन पदों की समीक्षा श्री अरविन्द कुमार झा, सहायक निदेशक एवं श्री सोमेश कुमार सिंह, कार्यपालक अभियंता द्वारा संयुक्त रूप से की जाय और एक सप्ताह के अंदर प्रतिवेदन विभाग को समर्पित किया जाय।

**(अनुपालन :– श्री अरविन्द कुमार झा, स०नि०/श्री सोमेश कुमार सिंह, का०अभि०)**

**12.** TCPO के पूर्व से स्वीकृत पदों यथा आर्किटेक्चर, टाउन प्लानर एवं कनीय अभियंता के पदों को अंगीकृत कर रोस्टर क्लियरेंस करते हुए इन पदों के विरूद्ध नियुक्ति की कार्रवाई की जाय। यह कार्य एक सप्ताह के अंदर पूर्ण कर लिया जाय।

**(अनुपालन :– श्री भरत झा, निदेशक, न०प्र०)**

**13.** पार्क अनुरक्षण नीति का प्रस्तुतिकरण माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष किये जाने का निर्देश है। इसका PPT शीघ्र final किया जाय और इस हेतु माननीय मुख्यमंत्री से तिथि निर्धारित करने हेतु संचिका उपस्थापित किया जाय।

**(अनुपालन :– प्रशाखा पदाधिकारी–2)**

**14.** बैठक में प्रतिवेदित हुआ कि कई नगर निकायों में नवनियुक्त कार्यपालक पदाधिकारियों को प्रभार हस्तगत नहीं कराने की सूचना प्राप्त हो रही है। इस संबंध में सभी नगर निकायों को यह निर्देश भेजा जाय कि जिन नगर निकायों के स्थानांतरित पदाधिकारियों द्वारा प्रभार नहीं दिया जा रहा है, उन्हें स्वतः विरमित करते हुए उस तिथि तक अनिवार्य रूप से प्रभार हस्तगत कराने हेतु पत्र भेजा जाय।

**(अनुपालन :– श्री भरत झा, निदेशक, न०प्र०)**

**15.** बैठक में प्रशाखा पदाधिकारी–1 द्वारा जानकारी दी गयी कि नगर निकायों में समूह 'ग' के कर्मियों की नियुक्ति बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से किये जाने संबंधी सेवा नियमावली प्रारूप तैयार कर लिया गया है। इन्हें निर्देश दिया गया कि नियमावली प्रारूप की समीक्षा हेतु प्रशाखा–5 को उपलब्ध करा दिया जाय। प्रशाखा–5 द्वारा इस पर 02 दिनों के अंदर मंतव्य के साथ नियमावली प्रशाखा–1 को वापस उपलब्ध करा दी जाएगी। तदोपरांत प्रशाखा पदाधिकारी–1 द्वारा नियमावली प्रारूप पर सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन हेतु संचिका एक सप्ताह के अंदर उपस्थापित की जाएगी।

**(अनुपालन :– श्री भरत झा, निदेशक, न०प्र०)**

**16.** बैठक में प्रतिवेदित हुआ कि किसी–किसी डाटा इंट्री ऑपरेटर द्वारा गुणवत्तापूर्ण कार्य का निष्पादन नहीं किया जा रहा है। श्री अमितेष, आई०टी० मैनेजर निर्देश दिया गया कि विभाग में कार्यरत सभी डाटा इंट्री ऑपरेटरों का कार्य दक्षता हेतु हिन्दी एवं अंग्रेजी में टाईपिंग गति की जाँच, MS Excel की जानकारी एवं Internet की जानकारी की जाँच की जाय। जाँच में उत्तीर्णता हेतु criteria निर्धारित की जाय। यह जाँच दिनांक 22.02.2019 को आयोजित की जाएगी। तदनुसार आई०टी० मैनेजर द्वारा इस संबंध में सभी डाटा इंट्री ऑपरेटरों को अग्रिम तौर पर सूचित कर दिया जाय। **(अनुपालन :– श्री अमितेष, आई०टी० मैनेजर)**

**17.** संबंधित सभी योजनाओं, जिसके कार्यान्वयन हेतु PMC/PMU गठित है, उनके नोडल पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि कंसल्टेंट/एजेंसी द्वारा संपादित किये जा रहे कार्यों का साप्ताहिक रूप से प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु एक पेज में प्रपत्र का प्रारूप 02 दिनों के अंदर अनिवार्य रूप से तैयार कर लिया जाय। यह प्रपत्र संबंधित योजनाओं यथा नमामि गंगे के लिए **श्री अरविन्द कुमार झा, सहायक निदेशक**, NULM, HFA एवं MIS के लिए **श्री विनोदानंद झा, उप निदेशक**, SLPMU के लिए **श्री के०डी० प्रोज्ज्वल, उप सचिव**, AMRUT के लिए **श्री अनिल कुमार मिश्रा, कार्यपालक अभियंता** तथा SBM के लिए **श्रीमती इन्दु कुमारी, वि०का०पदा०** द्वारा तैयार की जाएगी और इस प्रपत्र में साप्ताहिक रूप से प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी के अवलोकन हेतु भेजा जाएगा।

**(अनुपालन :– सभी संबंधित पदाधिकारी)**

**18.** संबंधित सभी योजनाओं में कार्यरत कंसल्टेंट/एजेंसी के भुगतान के परिप्रेक्ष्य में इनके द्वारा संपादित कार्यों के evaluation/deliverable के लिए भी प्रपत्र तैयार किया जाएगा और कार्यों के evaluation हेतु

Evaluation Committee का गठन किया जाय। Evaluation Committee द्वारा कंसल्टेंट/एजेंसी के कार्यों के evaluation एवं अनुशंसा के उपरांत ही एजेंसी को भुगतान हेतु संचिका उपस्थापित की जाएगी।

**(अनुपालन :– संबंधित योजनाओं के प्रभारी पदा०)**

**19.** आरा, कटिहार एवं पूर्णिया के स्टार्म वाटर ड्रेनेज योजना के डी०पी०आर० में संशोधन हेतु बुडको को भेजा गया है, लेकिन बुडको द्वारा तदनुसार डी०पी०आर० में संशोधन कर विभाग को उपलब्ध नहीं कराया गया है। अधीक्षण अभियंता को निर्देश दिया गया कि इस हेतु बुडको के स्तर पर वे स्वयं समन्वय करेंगे।

**(अनुपालन :– श्री ओम प्रकाश सिंह, अधी०अभि०)**

**20.** बोधगया स्टार्म वाटर ड्रेनेज योजना (अम्बा नाला) के डी०पी०आर० पर मंतव्य उपलब्ध कराने के लिए जिला पदाधिकारी, गया को पुनः स्मार पत्र भेजा गया है, लेकिन अभी तक इसका प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। निर्देश दिया गया कि अगले सप्ताह इस संबंध में जिला पदाधिकारी, गया को पुनः स्मार पत्र भेजा जाय।

**(अनुपालन :– प्रशाखा पदाधिकारी–2)**

**21.** विधानमंडलीय मामलों यथा प्राक्कलन समिति, ध्यानाकर्षण समिति, आश्वासन समिति, निवेदन समिति, याचिका समिति आदि से संबंधित प्रश्नों की निदेशक, नगरपालिका प्रशासन के स्तर पर साप्ताहिक समीक्षा बैठक की जाय एवं लंबित मामले का शीघ्र निष्पादन कराया जाय तथा अनुपालन प्रतिवेदन अवलोकन हेतु नियमित रूप से संचिका में उपस्थापित किया जाएगा। सभी प्रश्नों के अद्यतन स्थिति का कंप्यूटराईज्ड प्रतिवेदन भी नियमित रूप से तैयार रखा जाय। **(अनुपालन :– श्री भरत झा, निदेशक, न०प्र०)**

**22.** बिहार राज्य आवास बोर्ड से संबंधित कई मामलों में माननीय न्यायालय में वाद दायर है, जिससे संबंधित कई मामले विभाग स्तर पर अथवा बिहार राज्य आवास बोर्ड के स्तर पर लंबित है। इन मामलों की साप्ताहिक रूप से समीक्षा एवं अनुश्रवण कर निष्पादन कराने की कार्रवाई की जाय।

**(अनुपालन :– श्री भरत झा, निदेशक, न०प्र०)**

**23.** कोर्ट केस के सभी मामलों यथा कोर्ट केस का पत्र संबंधित प्रशाखा को कब भेजा गया है, किन मामलों में SOF दायर हो चुका है, कितने मामलों का निष्पादन हो चुका है आदि का कम्प्यूटराईज्ड प्रतिवेदन तैयार किया जाय और इसे अनवरत रूप से अद्यतनीकरण किया जाय। **(अनुपालन :– प्रशाखा पदाधिकारी–8)**

**24.** सभी नगर निगम शहरों में Stack Parking, Multilevel Paking एवं foot overbridge के निर्माण हेतु प्रस्ताव संचिका में उपस्थापित किया जाय। इस हेतु श्री संजय कुमार, विशेष सचिव से भी समन्वय सुनिश्चित किया जाय। **(अनुपालन :– प्रशाखा पदा०–2)**

**25.** Property Survey, GIS एवं Master Plan का areawise कार्य का आवंटन दोनों कर्मियों यथा श्री रमेश एवं श्री चंदन के बीच 02 दिनों के अंदर कर दिया जाय ताकि कार्य के निष्पादन में गति आ सके।

**(अनुपालन :– श्री हरिशंकर, टाउन प्लानर)**

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

25/1/2019

**(चैतन्य प्रसाद),**
प्रधान सचिव

ज्ञापांक 137 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 28/01/19

प्रतिलिपि :– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सभी विभागीय पदाधिकारी/प्रबंध निदेशक, बुडको/Team Leader, PMC (NULM)/Team Leader, SPMG/Team Leader, AMRUT/Team Leader, MIS/अभियंत्रण कोषांग/TCPO/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/आई०टी० मैनेजर, नगर विकास एवं आवास, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/1/2019
प्रधान सचिव



DK